बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :-1/एम0-1-108/2017.......132

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद सिंह,
अपर सचिव ।

सेवा में,

E-mail

सभी मुख्य अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)
सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)
सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक),
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक- 6 . 3 . 17

विषय-चयन वर्ष-2016 के लिए गैर राज्य-असैनिक सेवा के पदाधिकारियों को चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2079, दिनांक-21.02.2016 अनुलग्नक सहित संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त पत्र में निर्धारित शर्तो के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के इच्छुक पदाधिकारी अभियंत्रण क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में विशिष्ट कार्य/ उपलब्धि आदि का विवरणी देते हुए अपना बायोडाटा विशिष्ट योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, विशिष्ट कार्यो के लिए अनुशंसा पत्र/ प्रस्सति पत्र आदि यदि हो तो संलग्न करते हुए विहित प्रपत्र में पूर्ण विवरण सहित अपना आवेदन दिनांक-15.03.2016 के अपराह्न 05:00 बजे तक विभागीय मुख्यालय में उपलब्ध करायें ताकि योग्य पदाधिकारियों की वर्ष-2016 के लिए गैर राज्य-असैनिक सेवा के पदाधिकारियों को चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु विभागीय अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजी जा सकें। वांछित सूचना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के E-mail पर भेज सकते है। संबंधित पूर्ण विवरणी एवं विहित प्रपत्र P.H.E.D के Website पर भी उपलब्ध है।

अनुरोध है कि उक्त आशय की सूचना अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी अपने स्तर से देंगे।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

6.3.17
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक- 132 पटना, दिनांक- 6 . 3 . 17

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोपरि।

6.3.17
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

N note/letter-2017

Q10-31446/2017

(16)

ई–मेल /विशेष दूत पत्र संख्या : 1/सी0-1003./2017–सा0प्र0–2079/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

<u>सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना</u>
निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

पटना–15, दिनांक 21 फरवरी,2016

विषय:– **चयन वर्ष, 2016 के लिए गैर–राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली,1954 के नियम–8(2) तथा भा0प्र0से0(चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के नियम–4 एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–14015/30/2015–ए आई एस–। दिनांक 20.03.2015 के कार्यालय ज्ञापन के आलोक में ऐसे स्थायी राजपत्रित पदाधिकारी विशेष परिस्थिति में भा0प्र0से0 में चयन द्वारा नियुक्ति के लिए विचारणीय हैं, जो (1) **बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार वन सेवा/बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारी नहीं है, (2) उत्कृष्ट योग्यता और गुण के हैं, (3) दिनांक 01.01.2016 (प्रथम जनवरी दो हजार सोलह ई0) को 56 वर्ष के नहीं हुए हों तथा (4) अधिष्ठाई हैसियत से राजपत्रित पद पर लगातार न्यूनतम 8 वर्षो का अनुभव रखते हों।**

2. विषयगत नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के संकल्प, ज्ञापांक–4900, दिनांक 02.04.2012 के आलोक में अपेक्षित होगी। इस हेतु 03(तीन) रिक्तियों के निर्धारण का प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित है। **<u>भारत सरकार द्वारा रिक्तियों के निर्धारण के उपरान्त ही मामले में किसी भी प्रकार की अग्रतर कार्रवाई प्रत्याशित होगी।</u>**

3. अनुरोध है कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन विषयगत राजपत्रित पदाधिकारियों में से ***कंडिका–1 में विनिर्दिष्ट योग्यताओं के अनुरुप*** योग्यतम **<u>03(तीन) पदाधिकारियों</u>** का चयन निम्नलिखित शर्त्तों, बंधेजों एवं औपचारिकताओं के अनुरूप पूर्ण करते हुए आवश्यक कागजातों सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ भेजने की कृपा की जाय:–

(क) प्रत्येक विभाग में एक चयन समिति गठित की जाय। इस चयन समिति के अध्यक्ष विभागीय प्रधान सचिव/सचिव होंगे। उनके अतिरिक्त समिति में दो अन्य सदस्य रहेंगे <u>जिनमें से एक, विभागीय प्रधान/सचिव द्वारा ही मनोनीत किसी अन्य विभाग के अपर सचिव या उच्चतर स्तर के पदाधिकारी होंगे</u> तथा दूसरे, उक्त विभाग के ही अधीन कोई विभागाध्यक्ष होंगे (यदि कोई हो तो) अन्यथा विभाग के ही कोई वरीय पदाधिकारी होंगे;

(ख) अनुशंसित पदाधिकारी नियमानुसार अवश्य ही ***उत्कृष्ट योग्यता एवं गुण/दक्षता*** के हों तथा उनके विरूद्ध *प्रथमद्रष्टया कोई आरोप प्रमाणित भी नहीं हो;*

(ग) पदाधिकारियों के पूर्ण एवं सुस्पष्ट *सेवा–इतिहास* (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों) के अलग पृष्ठ (Sheet) अनिवार्य रुप से संलग्न किये जायें;

(घ) उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की विवरणी–समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार द्वारा प्रदत्त ग्रेडिंग सहित विवरणी, के अलग–अलग पन्ने संलग्न किये जायें, साथ ही अद्यतन एवं पूर्ण (तिथिशःपूर्ण) ***मूल चरित्र–पुस्तियाँ/उन चरित्र पुस्तियों के सभी पृष्ठों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ*** भी संलग्न की जायें। जिन तिथियों अथवा अवधि की गोपनीय अभ्युक्तियाँ/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यदि, प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकार में से किसी स्तर द्वारा अभिलेखित न हुआ हो या अल्पावधि के कारण अभिलेखित किया जाना आवश्यक न हों अथवा अभ्युक्तियाँ/प्रतिवेदन अनुपलब्ध हों, तब उनके अभिलिखित न होने/अनुपलब्ध होने के मान्य कारण का प्रमाण–पत्र (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों) भी अवश्य संलग्न किये जायें;

(ङ) पदाधिकारियों के विरुद्ध लंबित विभागीय आरोप, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तथा लोकायुक्त कार्यालय के यहाँ मामला लंबित नहीं रहने का *स्पष्ट प्रमाण पत्र* (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों) भी भेजे जाएँ ताकि संबंधित पदाधिकारियों की पूर्ण सत्यनिष्ठा सत्यापित की जा सके;

(च) पदाधिकारियों की पूर्व पदस्थापन विवरणी(वेतन मान सहित) सम्मिलित किया जाय;

(छ) पदाधिकारियों के मनोनयन उनके पैतृक विभागों द्वारा ही किये जायेंगे;

(ज) **पात्रता के लिये निर्धारित भारत सरकार की शर्तों (जिनका उल्लेख उपर्युत कंडिका–1 एवं संलग्न संगत नियमावली की कंडिका–4 में है) के पूर्णतः अधीन रहते हुए** विषयगत प्रयोजन से गठित की जाने वाली विभागीय समितियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधित्व को भी दृष्टिगत करने का यथासंभव प्रयास भी किया जाय; और

(झ) प्रशासी विभागों की चयन समिति की कार्यवाही की मूलप्रति एवं उसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किये जाने वाले मनोनयन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जायें। **समिति की अनुशंसा पर संबंधित विभागीय मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जाय तथा पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहे कि चयन समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने पर प्रशासी विभाग से प्राप्त अनुशंसायें किसी भी परिस्थिति में विचारणीय नहीं होंगी;**

4. कंडिका–3 में **वर्णित शर्तों एवं बंधेजों के आलोक में अनुशंसा के साथ सभी** आवश्यक सूचनायें एवं कागजात अनुबद्ध विहित प्रपत्र में संलग्न किए जायें। किसी सूचना/कागजात के अभाव में प्राप्त अनुशंसायें विचारणीय नहीं होंगी।

5. प्रशासी विभाग द्वारा पूर्व के वर्षों में अगर किसी पदाधिकारी को अनुशंसित किया गया है, तो उनको पुनः अनुशंसित करने में यद्यपि प्रतिबन्ध नहीं है, यदि वे इस पत्र में वर्णित शर्तों एवं बंधेजों के अन्तर्गत आते हों। परन्तु, नये पदाधिकारियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आलोच्य विचारण–प्रक्रिया में वैसे पदाधिकारियों के नाम पर विचार नहीं किया जाय, जो संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा गठित समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु दो बार उपस्थित हो चुके हों।

6. प्रासंगिक चयन प्रक्रिया को संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करना होता है । प्रशासी विभागों द्वारा समर्पित की जाने वाली अनुशंसाओं की त्रुटियों के मार्जन में काफी समय व्यय हो जाता है, फलस्वरुप, प्रश्नगत पत्र व्यवहारों में व्यतीत होने वाले समय को न्यून करने की दृष्टि से आलोचय अनुशंसायें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में एकल खिड़की विधि से प्राप्त की जायेंगी। **इस प्रक्रिया के तहत वांछित अनुशंसायें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की प्रशाखा–01 में संबंधित प्रशासी विभागों की ओर से प्राधिकृत पदाधिकारी, जो प्रशाखा पदाधिकारी से अन्यून स्तर के हों, द्वारा प्राप्त करायी जायेंगी ताकि प्रासंगिक समर्पण की त्रुटियों का तत्क्षण/शीघ्रातिशीघ्र निराकरण संभव हो सके।**

7. **अनुरोध है कि विभागीय मनोनयन यथा वर्णित रीति से 30 अप्रैल, 2017 तक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में उपलब्ध कराने कृपा की जाय।**

अनुलग्नक–

(1) सामान्य प्रशासन विभाग का
संकल्प ज्ञापांक– 4900 दिनांक
02.04.2012 की प्रति।

(2) भा0प्र0से0(चयन द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1997
की कंडिका–4 से संबंधित पृष्ठ ।

(3) आवश्यक सभी प्रपत्र/जाँच पत्र/अभिलेख समर्पण– विवरणी (8 पृष्ठों में)।

विश्वासभाजन,

ह0/ 20/2/17

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/सी0–1003/2017–सा0प्र0–2079/पटना–15, दिनांक 21 फरवरी,2017 प्रतिलिपि:– विभागीय आई0टी0 प्रबंधक, विभागीय बेवसाईट के नोटिस बोर्ड तथा परिपत्र एवं अधिसूचना में अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

ह0/ 21/2/17

सरकार के अवर सचिव।

(3)

(3)

अभिलेख समपर्ण—विवरणिका

(नॉन—एस सी एस)

1	क्या समर्पित की जा रहीं अनुशंसायें प्रशासी विभाग की चयन समिति द्वारा अनुशंसित हैं; यदि अनुशंसित हैं, तो उनकी मूल तथा अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न हैं—	
2	क्या प्रासंगिक अनुशंसाओं पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है—	
3	क्या सेवा—इतिहास का विभागीय अभिलेखों से मिलान कर लिया गया है और वह संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है—	
4	क्या सेवा इतिहास में सेवा में नियुक्ति तथा सम्पुष्टि की की तिथियाँ स्पष्ट रुप से अंकित हैं—	
5	क्या अनुशंसित पदाधिकारियों की उम्र निर्धारित सीमा (दिनांक 01.01.2016 को 56 वर्ष से कम) के अधीन है—	
6	क्या वांछित चारित्रियों /कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तिथिशः अद्यतन एवं पूर्ण हैं; यदि हैं, तो उनकी मूल / अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न हैं—	
7	जिन तिथियों /अवधियों की चारित्रियाँ अभिलेखित नहीं हैं उनके लिए संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर द्वारा हस्ताक्षरित उपयुक्त कारण के प्रमाण—पत्र (मूल/अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित) संलग्न हैं—	
8	क्या विभागीय आरोप एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तथा लोकायुक्त कार्यालय में मामला लंबित नहीं रहने का संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र संलग्न है—	
9	क्या प्रामाणिक सूचनायें सभी विहित प्रपत्रों में दर्ज हैं—	
10	क्या समर्पित अनुशसाओं में विभागीय पत्रांक—............... दिनांक—.................. की सभी शर्तें पूर्णतः अनुपालित हैं—	
11	आलोच्य समर्पण हेतु प्रशाखा पदाधिकारी से अन्यून स्तर के प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम और सम्पर्क विवरण अंकित किया जाय—	

सक्षम प्राधिकार का हस्ताक्षर

तिथि—.......................

नाम—

पदनाम—

Chek List

Sl. No.	Information/Information's to be mentioned	Remarks
1	Whether the date of birth, date of continuous appointment in the qualifying grade and date of confirmation in service of the concerned officer/officers furnished to GAD is true and verified with official records	
2	Whether the name and date of birth of officer/officers sent GAD have tallied with the seniority list and in case of any variation reasons and factual position should be mentioned in brief	
3	Whether integrity of concerned officer/officers is unquestioned	
4	Whether duly signed statement of disciplinary proceedings, criminal proceedings. adverse remarks and consolidated statement of the officer in Annexure 1.1 (A & B) 4.2, 6 and 3.4-A furnished.	
5	Whether any court matter/ directions are pending against the concerned officer / officers	

Signature of the competent Authority
with Name and Designation.

(31) (12)

Bio-Data of Non SCS Officers

1. Name of Officer-
2. Date of Birth-
3. Educational Qualification-
4. Whether belongs to SC/ST/OBC-
5. Date of confirmation in Gazetted Posts-
6. Present post held-
7. (i) Date of appointment to the post which has been declared equivalent to the post of Dy. Collector in the State Civil Service-

   (ii) Name of the Post-

   (iii) Whether holding the post substantively and the date since when-
8. Date of Gazetted Post held-

Sl. No.	Name of the posts held	Category of the posts	period	Scale of pay	Duties (Brief)

9. Achievement in Brief (Including publications if any)-
10. Training undergone-

Signature

Name ....

Designation ....

Annexure-4.1-A

(A) Details of Disciplinary Proceeding Pending Against Eligible Officers				
SI.No	Name of officers/Merit List	Date of Issue of Charge Sheet to the Officers	Brief facts and nature of charges	Present Status
1	2	3	4	5

Signature :

Name : ----------------------

Designation :

Annexure-4.1-B.

(A) Details of Criminal Proceeding Pending Against Eligible Officers

SI.No	Name of officers/Merit List	Date of Issue of Charge Sheet to the Officers	Brief facts and nature of charges	Present Status
1	2	3	4	5

Signature :

Name : ----------------------

Designation :

Annexure-4.2

Details of Penalties Imposed on Eligible Officers During The last 10 Years

SI. NO.	Name of officers/Merit List	Year in which offence is committed	Date of Issue of Charge Sheet	Date on which penalty imposed	Nature of Penalty	Period of Currency of the penalty and the date when the currency of penalty will be over	Whether any appeal has been filed and if so whether there is any interim stay.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature :

Name : ----------------------

Designation :

Annexure-6.

Certificate regarding communication of Adverse Remarks in respect of eligible Officers.

1. Adverse remarks in the character rolls of the following eligible officers have not been communicated by the State Govt. to the officers concerned.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period

2. Adverse entries in respect of the following eligible officers have been communicated but no representations have been so far received from the officers concerned but the time limit to represent is not yet over.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period

3. Representations against adverse entries in respect of the following officers have been received within the stipulated time but the decision of the State Government is yet to be taken.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period

4. Representations against adverse entries in respect of the following officers have been received within the stipulated time & decision of the State Government has been taken in this regard.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period

Signature :

Name : ----------------------

Designation :

ANNEXURE 3.4 A

Consolidated Statement of Non-State Civil Service Officers eligible for consideration for appointment to the IAS as on 1st January of the Select List year

S. No.	Name of Officer (S/Shri)	Whether SC/ST/OBC	Date of Birth	Post held (Declared equivalent to the post of Dy. Collector in the State Civil Services)	Whether the post held is Gazatted and in substantive capacity if so, the date of confirmation in that post.	Date from which continuously holding the post (Declared equivalent to the post of Dy. Collector in the State Civil Service)	Whether the post held is Gazetted and in substantive capacity, if so the date of confirmation in that post	Pay Scale of the post (Declared equivalent to the post of Dy. Collector in the State Civil Service.)		Remarks/ Post held at Present
								Pay of the declared equivalency	Present pay of the concerned	

Signature :

Name :

Designation :

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

<u>संकल्प</u>

विषयः— भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अंतर्गत गैर—राज्य असैनिक सेवा के पदों को उपसमाहर्त्ता के पद की समकक्षता संबंधी अधिघोषणा के संबंध में।

मानमीय कैट, (पटना पीठ), रांची द्वारा ओ0ए0 संख्या—221/01 तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या—10616/2010 में पारित न्यायादेश में विषयगत विभागीय संकल्प संख्या—2178 दिनांक 21.04.2001 को निरस्त किये जाने के आलोक में उक्त विभागीय संकल्प को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:—

1. उक्त संकल्प की कंडिका—1 के द्वितीय पारा में अंकित—

'बिहार वन सेवा', 'बिहार आरक्षी सेवा' एवं 'राज्य प्रशासनिक सेवा' से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं एवं संवर्गों के 10,000—15,200/—रूपए के वेतनमान तथा उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर कार्यरत् पदाधिकारियों के कर्त्तव्य तथा दायित्वों को देखते हुए इन वेतनमान के पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 की धारा—4 के उद्देश्यार्थ राज्य सिविल सेवा के उपसमाहर्त्ता के समकक्ष घोषित किया जाए। इस वेतनमान वाले पदों एवं इससे उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर कुल मिलाकर कम—से—कम आठ वर्षों की सेवा होने के उपरान्त ही संबंधित पदाधिकारी इस विनियम के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्त होने के विचार क्षेत्र में आ सकते हैं"

<u>के स्थान पर</u>

'बिहार वन सेवा', 'बिहार आरक्षी सेवा' एवं 'राज्य प्रशासनिक सेवा' से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं एवं संवर्गों के 8,000—13,500/—रूपये का अपुनरीक्षित वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान पे0 बैंड—3, रू0 15,600— 39,100+ग्रेड पे0—रू0 5,400/—) तथा उच्चतर वेतनमान के पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 की धारा—4 के उद्देश्यार्थ राज्य सिविल सेवा के उपसमाहर्त्ता के पदों के समकक्ष घोषित किया जाय। इस वेतनमान वाले पदों एवं इससे उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर कुल मिलाकर कम—से—कम आठ वर्षों की सेवा होने के उपरान्त ही संबंधित पदाधिकारी इस विनियम के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्त होने पर विचार क्षेत्र में आ सकते हैं"।

2. यह निर्णय तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

आदेशः– आदेश है कि सर्व–साधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी संबंधित को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आनन्द बिहारी प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1/सी0–1019/2011 (खंड–1)–सा0प्र0– 4900 /पटना, दिनांक : 2.4.12

प्रतिलिपि–अधीक्षक, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की दो प्रति एवं तत्संबंधी सी0डी0 के साथ राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 500 (पांच सौ) मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (प्रशाखा–1) को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1/सी0–1019/2011 (खंड–1)–सा0प्र0– 4900 /पटना, दिनांक : 2.4.12

प्रतिलिपि–राज्यपाल के प्रधान सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/विकास आयुक्त/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारियों/प्रशाखाओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

6 THE INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE (APPOINTMENT BY SELECTION) REGULATIONS, 1997

In exercise of the powers conferred by section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in pursuance of sub-rule (2) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules,1954 and in supersession of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations,1956, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government in consultation with State Governments and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement-**

(1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force on the first day of January, 1998.

2. **Definitions-** In these regulations, unless the context otherwise requires:-

(a) "Committee" means the Committee as constituted under regulation 3 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955;

(b) "Promotion Regulations" mean the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955;

(c) "Recruitment Rules" means the Indian Administrative service (Recruitment) Rules, 1954, and

(d) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Indian Administrative Service(Recruitment) Rules,1954 and Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, shall have the meanings respectively assigned to them in those Rules and Regulations.

3. **Determination of vacancies to be filled:** - The Central Government shall, in consultation with the State Government concerned, determine the number of vacancies for which recruitment may be made under these regulations each year. The number of vacancies shall not exceed the number of substantive vacancies, as on the first day of January of the year, in which the meeting of the Committee to make the selection is held.

4. **State Government to send proposals for consideration of the Committee.-** (1) The State Government shall consider the case of a person not belonging to the State Civil Service but serving in connection with the affairs of the State who,

(i) is of outstanding merit and ability; and

(ii) holds a Gazetted post in a substantive capacity; and

(iii) has completed not less than 8 years of continuous service under the State Government on the first day of January of the year in which his case is being considered in any

post which has been declared equivalent to the post of Deputy Collector in the State Civil Service and propose the person for consideration of the Committee. The number of person proposed for consideration of the Committee shall not exceed five times the number of vacancies proposed to be filled during the year.

Provided that the State Government shall not consider the case of a person who has attained the age of 54 years on the first day of January of the year in which the decision is taken to propose the names for the consideration of the Committee.

Provided also that the State Government shall not consider the case of person who, having been included in an earlier select list, has not been appointed by the Central Government in accordance with the provisions of regulation 9 of these regulations.

5. **Preparation of a list of suitable Officers by the Committee-** The committee shall meet every year to consider the proposal of the State Government made under regulation 4 and recommend the names of the persons, not exceeding the number of vacancies to be filled under regulation 3, for appointment to the Service. The suitability of a person for appointment to the service shall be determined by scrutiny of service records and personal interview.

Provided that no meeting of the Committee shall be held and no list for the year in question shall be prepared, when

(a) there are no substantive vacancies as on the first day of January of the year in the posts available for recruitment of persons under sub-rule (2) to rule 8 read with proviso to sub-rule (1) to rule 9 of the recruitment rules; or

(b) the Central Government in consultation with the State Government decides that no recruitment shall be made during the year to the substantive vacancies as on the first day of January of the year in the posts available for recruitment under sub-rule (2) of rule 8 read with provision to sub-rule (1) to rule 9 of the recruitment rules, or

(c) the Commission, either on its own or on a proposal made by the Central Government or the State Government, considers that it is not practicable to hold a meeting of the Committee during the year, in the facts and circumstances of each case.

Explanation- In case of Joint Cadres, a separate select list shall be prepared in respect of each constituent having a State Civil Service.

6. **Consultation with the Commission:-**(1) The recommendations of the Committee made under regulation 5 shall be placed before the State Government concerned which shall forward the same to the Commission for approval along with

(i) the confidential records of the officer concerned; and

(ii) the observations, if any, of the State Government and the recommendations of the Committee.

(2) The State Government shall also forward the recommendations of the Committee and its observations, if any, to the Central Government. The Central Government shall forward their observations, if any, on the recommendations of the Committee, to the Commission.

7. **Preparation of select list by the Commission.-** (1) The Commission shall consider the list prepared by the Committee, the observations, if any, of the Central Government and the State Government concerned on the recommendations of the Committee and approve the list subject to the provisions of sub-regulation (2) which shall be termed as a select list

(2) If the Commission considers it necessary to make any amendment in the list, it shall consult the Central Government and the State Government concerned and after taking into account the comments, if any, of the Central Government and the State Government concerned, may approve the list with such amendments, if any, as are in its opinion, just and proper.

8. **Appointment to the Service from the select list.-**

(1) Appointment of persons who are included in the select list, and are willing to be appointed to the Service, shall be made by the Central Government, within a period of sixty days, in the order in which the names of such persons appear in the select list:

Provided that the appointment of persons who are included in the select list shall be made in accordance with the agreement arrived at under clause (b) of sub-rule (3) of rule 8 of the recruitment rules in the order in which the names of such persons appear in the relevant parts of the select list:

Provided also that in case a select list officer has expressed his unwillingness for appointment to the Service, he shall have no claim for appointment to the Service from that select list unless he informs the Central Government through the State Government before the end of the year in which the meeting of the Committee is held to prepare the select list or within sixty days of the date of the letter conveying his expression of unwillingness to be appointed to the Service whichever is later, revoking his earlier expression of unwillingness for appointment to the Service.

9. **Power of the Central Government not to appoint in certain cases:-** Notwithstanding anything contained in these regulations, the Central Government may not appoint any person whose name appears in the select list, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest.

Provided that no such decision shall be taken by the Central Government without consulting the Union Public Service Commission and without recording the reasons therefor